

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्कीम

मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता स्कीम

स्कीम और लाभ के बारे में

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदकों के लिए पेंशन योजना।

सहायता दर: 60-79 वर्ष समूह वर्ग के लिए रु. 200 प्रति लाभार्थी प्रति माह

80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए रु. 500 प्रति लाभार्थी प्रति माह

पात्रता

- आवेदक (पुरुष या महिला) की उम्र 60 साल या उससे ऊपर
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो

आवेदन कैसे करें

राज्य या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड करें।

अधिक जानकारी के लिए देखें: http://nsap.nic.in/Guidelines/english_oaps.pdf अथवा

<http://nsap.nic.in/#>

अथवा स्थानीय पंचायत से संपर्क करें